पत्र संख्या–आई0टी0–जी0एस0टी0 टर्न ओवर मार्किंग /2020–21/ 593 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:: दिनांक::14 अक्टूबर 2020

महोदय,

कृपया विधि अनुभाग के पत्र संख्या–430 दिनांक 19.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत खण्ड़ में उपायुक्त/सहायक आयुक्त / वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर व्यापारियों के टर्न ओवर के आधार पर विभाजन के सम्बंध में है।

उक्त के क्रम में आई0टी0 अनुभाग के पत्र संख्या–229 दिनांक 30.05.2019 द्वारा DMS Module के माध्यम से खण्ड़ के अन्तर्गत व्यापारियों का स्थानान्तरण के सम्बंध में विस्तृत प्रक्रिया जारी की गयी थी।

अतः खण्ड़ के डिप्टी कमिश्नर स्वयं DMS Module के माध्यम से अपने खण्ड़ के व्यापारियों को उपायुक्त/सहायक आयुक्त / वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर Dealer Transfer कर पायेंगें। यह सुविधा 01.11.2020 से 15.11.2020 तक क्रियाशील रहेंगें। तदोपरान्त विभागीय माड्यूल तथा एम0आई0एस0 रिपोर्ट हेतु सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष Dealer Transfer किये गये Office में फ्रीज हो जायेंगें। उपरोक्त प्रक्रिया का कियान्वयन समय से किये जाने हेतु अपने स्तर से अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (आई0टी0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।